भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1197

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्व–सहायता समूहों के लिए ऋण सुविधा

1197. श्री मोहम्मद अली खानः
श्रीमती टी॰ रत्नाबाईः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास ऐसे पंजीकृत स्वसहायता समूहों (एसएचजी) का कोई ब्यौरा है जो ऋण सुविधा प्राप्त कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में स्वसहायता समूहों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए मौजूद नियम क्या हैं; और
(ग) देश में एसएचजी को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए नियमों में ढील देने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) और (ख): नाबार्ड की वर्ष 2012-13 की 'लघु वित्त की स्थिति रिपोर्ट' के अनुसार दिनांक 31.03.2013 तक 44.51 लाख स्व-सहायता समूहों पर बैंकों के 39375.30 करोड़ रू. के ऋण बकाया थे। ऋणों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

	संवितरित		बकाया	
वर्ष	स्व-सहायता समूहों की संख्या	राशि (रू. करोड़ में)	स्व-सहायता समूहों की संख्या	राशि (रू. करोड़ में)
2007-08	1227770	8849.26	3625941	16999.90
2008-09	1609586	12253.51	4224338	22679.84
2009-10	1586822	14453.30	4851356	28038.28
2010-11	1196134	14547.73	4786763	31221.17
2011-12	1147878	16534.77	4354442	36340.00
2012-13	1219821	20585.36	4451434	39375.30

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 जून, 2013 को जारी मास्टर सर्कुलर के अनुसार देश में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण सुविधा पाने के मानक इस प्रकार हैं :

* बचत खाता खोलने की तारीख की बजाय स्व-सहायता समूहों के बहीखातों के अनुसार स्व-सहायता समूह कम से कम 6 माह से सक्रिय होना चाहिए।

* स्व-सहायता समूह को नियमित बैठकों, नियमित बचत, नियमित रूप से ऋणों के परस्पर लेन-देन, समय पर ऋण अदायगी तथा बहीखातों को अद्यतन रखने के पंचसूत्रों का पालन करना चाहिए।
* नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानकों के अनुसार अर्हता प्राप्त हो। जब भी स्व-सहायता समूहों के संघों का निर्माण हो, तभी बैंकों की सहायता के लिए ये संघ ग्रेडिंग कार्यकलाप कर सकते हैं।
* मौजूदा निष्क्रिय स्व-सहायता समूह भी ऋण पाने के पात्र हो सकते हैं, यदि वे पुन: सक्रिय हो गए हो और कम से कम 3 महीने की अवधि से कार्यरत हों।

(ग): बैंकों और स्व-सहायता समूहों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

1. एसजीएसवाई को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के नाम से 3 जून, 2011 को शुरू किया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के तहत समर्पित कार्यान्वयन तंत्र के माध्यम से एनआरएलएम स्व-सहायता समूहों की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। एनआरएलएम चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है जिसमें संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों ने गहन क्षेत्रों के रूप में 177 जिलों और 1157 ब्लॉकों का चयन किया है। देश के गहन ब्लॉकों में स्व-सहायता समूहों और बैंकों के बीच संबंध स्थापित करने के कार्य में सहायता के लिए समर्पित सहायक कर्मचारियों की भर्ती की गई है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक ने एनआरएलएम के विषय में 'प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका के रूप में एसजीएसवाई का गठन' शीर्षक से मास्टर सर्कुलर जारी किया था, जिसमें स्व-सहायता समूहों को ऋणों की अदायगी की रूकावटों को दूर करने के लिए आवश्यक विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं।
3. स्व-सहायता समूहों और बैंकों के संबंधों पर ध्यान देने के लिए स्व-सहायता समूहों और बैंकों के बीच संबंधों के विषय में राज्य स्तर पर एसएलबीसी उप समिति गठित की गई है।
4. स्व-सहायता समूहों को ऋणों की प्रदायगी बढ़ाने के लिए एनआरएलएम के तहत ब्याज सब्सिड़ी का प्रावधान किया गया है। चुनिंदा 150 जिलों में सभी महिला स्व-सहायता समूह 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण ले सकेंगे और ऋण शीघ्र चुकाने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। शेष जिलों में ऋण शीघ्र चुकाने पर एनआरएलएम का अनुपालन करने वाले सभी स्व-सहायता समूहों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने के लिए इस योजना में शामिल किया जाएगा।
5. नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही महिला स्व-सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) योजना के तहत 150 जिलों में 30.09.2013 तक 80,742 स्व-सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनमें से 19357 स्व-सहायता समूहों को ऋण प्राप्त हुए हैं।